

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 18 जुलाई, 2011/27 आषाढ़, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

Office of the District Magistrate District Bilaspur, Himacahal Pradesh

CORRIGENDUM

The notification published regarding appointment of Notary on 12-7-2011 No. BLS-LTG-3 (3)/80-27461 through office of the District Magistrate Bilaspur, on page 1450 the **place be read as** Ghumarwin in place of **Sub Division Sadar**

Sd/District Magistrate,
District Bilaspur.

Dated 14-7-2011

राजस्व विभाग

हिमाचल प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियम, 2011



भारत नान-जुडिशियल पेपर हिमाचल प्रदेश सरकार

ई—स्टाम्प

प्रमाण पत्र संख्या :

प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख:

लेखा सन्दर्भ :

एकमात्र विलेख संदर्भ :

केता :

विलेख का विवरण : सम्पत्ति का विवरण :

प्रतिफल राशि: (रुपए)

प्रथम पक्ष : द्वितीय पक्ष :

स्टाम्प शुल्क प्रदाता :

स्टाम्प शुल्क की राशि : (रुपए)

कृपया	इस	पंक्ति	के	नीचे	लिखें	या	टंकित
करें							

राजस्व विभाग

(स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला–2, 12 जुलाई, 2011

संख्या रैव0 1—3 (स्टाम्प)—1/85—VI.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 10, 74 और 75 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

अध्याय–1

प्रारम्भिक

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ई—स्टाम्पिगं नियम, 2011 है।
 - (2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.-- (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) "अधिनियम" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) अभिप्रेत है:
 - (ख) "करार" से नियम 6 के अधीन निष्पादित करार अभिप्रेत है;
 - (ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
 - (घ) "प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र" से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और इन नियमों के नियम 12 और 13 के अधीन स्टाम्प शुल्क के संग्रहण और ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने के लिये नियुक्त स्टाम्प—शुल्क संदायकर्ता के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतू एक अभिकर्ता अभिप्रेत है;
 - (ङ) "केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण" से इन नियमों के नियम 3 और 4 के अधीन कम्प्युटरीकृत स्टाम्प शुल्क प्रशासन प्रणाली (सी0—एस0डी0ए0एस0) के लिए नियुक्त एक अभिकरण अभिप्रेत है;
 - (च) "मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी" से वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अधीन नियुक्त रिजस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश भी शामिल होगा यदि इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया गया है;
 - (छ) "विभाग" से सरकार का राजस्व विभाग अभिप्रेत है;
 - (ज) "ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र" से अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के संदाय, को दर्शाने हेतु नियम 27 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कागज पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इलैक्ट्रोनिक रुप से उत्पादित स्टाम्प का टैम्पर प्रूफ प्रमाण—पत्र अथवा छपाई अभिप्रेत है;
 - (झ) "प्ररुप" से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;
 - (স) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
 - (ट) "शिकायत निवारण अधिकारी" से इन नियमों के नियम 39 में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है:
 - (ठ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
 - (ङ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों में हैं।

केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण

- 3. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता.—भारतीय रिजर्व बैकं द्वारा नियन्त्रित कोई लोक वित्तीय संस्था या राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक, अथवा निगमित निकाय या संगठन या निक्षेप सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कोई कम्पनी या कोई निगमित निकाय, जहां उपरोक्त में से कोई इकाई या तो एकल या संकाय रूप में साधारण पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत रखती हों, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- 4. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति.—नियुक्ति प्राधिकारी, मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, एक अभिकरण नियुक्त करेगा, जिसे राज्य के लिए अथवा राज्य में विनिर्दिष्ट जिला(जिलों) या उप—जिला(जिलों) या स्थानों के लिए अधिमान के निम्नलिखित क्रमों में से किसी को अंगीकार करके, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रुप में कार्य करने हेतु अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (26) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है, अर्थात्:—
- (क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सिफारिशों, यदि कोई हों, के आधार पर;
- (ख) ऐसी सिफारिशों के न होने पर, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रुप से गठित विशेषज्ञ चयन समिति के माध्यम से तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां आमन्त्रित करके।
- 5. नियुक्ति की अवधि.—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष अथवा ऐसी अवधि के लिए वैध होगी, जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिष्टिचत की जाए।
- 6. **करार और वचन—एवं—क्षतिपूर्ति बंध—पत्र.——**(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के साथ प्ररुप—1 पर करार निष्पादित करेगा।
- (2) करार के निबन्धन और शर्तें, दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सम्मति द्वारा उपान्तरित की जा सकेंगी।
- (3) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, सरकार के पक्ष में एक 'वचन—एवं—क्षतिपूर्ति बंध—पत्र' प्ररुप—2 में निष्पादित करेगा।
- 7. नियुक्ति का नवीकरण.——(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुख्य नियन्त्रक अधिकारी की सिफारिशों पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, नियुक्ति की चालू अविध के अवसान से पूर्व, उपयुक्त समय के भीतर, नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
- (2) मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी, नवीकरण के आवेदन पर जांच करने अथवा विनिश्चय लेने से पूर्व, नियुक्ति के नवीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के सम्बद्ध कार्यालयों से कोई सूचना अथवा अभिलेख मांग सकेगा।
- (3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाता है, तो वह नियुक्ति का नवीकरण कर सकेगा और नियम 6 के अनुसार नया करार तथा वचन—एवं—क्षतिपूर्ति बंध—पत्र निष्पादित किया जाएगा।
- **8.** केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति की समाप्ति.——(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, नियत अवधि से पूर्व, किसी प्रकार के दायित्वों या, यथास्थिति, करार के निबन्धनों या इन नियमों या अधिनियम

के उपबन्धों के भंग होने अथवा वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

- (2) उपनियम (1) के अधीन, नियुक्ति को तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि :--
 - (क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को ऐसी समाप्ति के लिए आधार विनिर्दिष्ट करते हुए, एक मास का नोटिस नहीं दिया गया हो; और
 - (ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी की यदि यह राय है कि अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है, तो वह उपनियम (2) के अधीन प्रक्रिया अनुसरण में लाने के पश्चात् यथास्थिति, अधिनियम के अध्याय—7 और इन नियमों के अध्याय—5 के उपबन्धों के अनुसार शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगा।
- (4) इस नियम के अधीन नियुक्ति की समाप्ति पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, नियुक्ति की अविध के दौरान जनित समस्त आंकड़े, सरकार को हस्तान्तिरत करेगा। केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियुक्ति की समाप्ति के पश्चात्, यह अपने कारोबार के लिए अथवा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए, नियुक्ति की अविध के दौरान संकलित (जनित) आंकड़ों का उपयोग नहीं करेगा या उपयो नहीं करवाएगा।
- 9. **केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के कर्त्तव्य.—**केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा,—
 - (क) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से रिजस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जिला रिजस्ट्रार, उप-रिजस्ट्रार (पंजीयक) तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों अर्थात् स्टाम्प शुल्क के संदाय के लिए सम्पर्क स्थल के कार्यालयों में और मुख्य नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट राज्य के अन्य नामित स्थानों या कार्यालयों पर साफ्टवेयर संरचना जिसमें मुख्य सर्वर के साथ इसका संयोजन भी सम्मिलित है तथा डाँटा केन्द्र में ई-स्ठाम्पिंग एप्लीकेशन के संचालन के लिए हार्डवेयर उपलब्ध करवाने के लिए;
 - (ख) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त विभाग के व्यक्तियों और अन्य कर्मियों को प्रणाली के संचालन और उपयो के लिए उपयुक्त और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए;
 - (ग) स्टाम्प शुल्क के संग्रहण और ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के चयन में सुविधा प्रदान करने के लिए;
 - (घ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (बैंक इत्यादि) के केन्द्रीय सर्वर और रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जिला रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार के कार्यालयों या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट राज्य के किन्हीं अन्य कार्यालय अथवा स्थान के मध्य तालमेल (समन्वय) बनाने के लिए;
 - (ङ) स्टाम्प शुल्क का संग्रहण करने और इन नियमों के अध्याय—4 के उपबन्धों के अनुसार राज्य के विहित मुख्य शीर्ष में इसे प्रेषित करने के लिए;
 - (च) इन नियमों के अधीन अपेक्षित और मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर निदेशित, विभिन्न रिपोर्टो को तैयार करने तथा उपलब्ध करवाने के लिए;
 - (छ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सम्यक् रुप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के सिवाय, राज्य में इसके द्वारा ली गई

ई—स्टाम्पिन्ग परियोजना की बाबत, किसी हार्डवेयर, साफ्टवेयर और किसी अन्य तकनीक या ब्यौरों को, किसी व्यक्ति को उपलब्ध, स्थानान्तरित या उससे सांझा (शेयर) नहीं करेगा;

- (ज) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, ई—स्टाम्पिंग एप्लीकेशन को, सी०ई०आर०टी०—इन की एक एम्पैनल्ड ऐजैन्सी से, उसकी सुरक्षा जांच करवाने के पश्चात् ही लागू करेगा। ई—स्टाम्पिंग एप्लीकेशन सोफ्टवेयर में अन्यथा कोई बदवाल किया जाता है, तो भी अनुवर्ति सुरक्षा जांच की जानी अपेक्षित होगी; और
- (झ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, ई—स्टाम्पिंग के लिए समर्पित सर्वर की सभी गतिविधियों का अभिलेख तैयार करेगा और सी०ई०आर०टी०—इन के सुरक्षा मानकों का भी नियमित अनुसरण करेगा। सम्पूर्ण परियोजना के अभिलेख को, नियमित विश्लेषण, दोष को दूर करने तथा प्रतिलाभ एवं आंकडों के अनवेषण के प्रयोजन से सही रूप में संचित व पुरालेखित किया जाएगा।
- 10. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को संदत्त की जाने वाली कमीशन या छूट.——(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, ई—स्टाम्पिंग यन्त्र विन्यास के माध्यम से संगृहीत स्टाम्प शुल्क की रकम पर, प्रतिशतता हेतु कमीशन अथवा छूट का हकदार होगा जो करार पाई जाए। कमीशन अथवा छूट की दरों को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
- (2) इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के लिए कमीशन या छूट, इन नियमों के नियम 20 की शर्तों के भी अध्यधीन होगी।
- 11. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले साफ्टवेयर का विनिर्देशन.——(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के निम्नलिखित न्यूनतम ब्यौरों को उपदर्शित करने के लिए ऐसे निम्नलिखित साफ्टवेयर को परिकल्पित तथा उसका उपयोग करेगी,—
 - (क) प्रत्येक ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के लिए विशिष्ट क्रम संख्या या विशिष्ट (यूनीक) एकमात्र पहचान संख्या:
 - (ख) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को जारी करने की तारीख और समय;
 - ग) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की 'ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने वाली शाखा' का कोड तथा अवस्थिति;
 - (घ) विशिष्ट (यूनीक) संदर्भ संख्या;
 - (ङ) ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र प्राप्त करने वाले के माध्यम से संदत्त स्टाम्प शुल्क की शब्दों और अंकों में रकम;
 - (च) ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र प्राप्त करने वाले क्रेता अथवा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और पता;
 - (छ) प्रथम पक्षकार का नाम;
 - (ज) द्वितीय पक्षकार का नाम (यदि कोई हो);
 - (झ) उस लिखत का सिक्षप्त विवरण, जिस पर स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जाना आशयित हो;
 - (ञ) उस सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण जो लिखत की विषय-वस्तु है, यदि कोई हो ;
 - (ट) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का कोई अन्य सुभिन्न चिन्ह, उदाहरणार्थ सूक्ष्म अंकित माइकोप्रिन्ट तथा डिजिटल आप्टीकल वाटर मार्क के साथ बार कोड या सुरक्षा कोड; और
 - (ठ) ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र, इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' प्रपत्र के अनुसार होगा।
- (2) उप—नियम (1) के अतिरिक्त, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, निम्नलिखित उपबन्ध भी करेगी,—
 - (क) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी करने वाले कर्मचारी की यूजर-आई०डी०;

- (ख) ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल / हस्त्य हस्ताक्षर और मोहर (मुद्रा);
- (ग) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले केता या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर;
- (घ) ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की अवाप्ति (पहुंच) हेतु वेब आधारित प्रसुविधा;
- (ङ) किसी ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के पुनःउपयोग को रोकने के लिए, जिला रजिस्ट्रार, उप—रजिस्ट्रार अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र को बन्द करने (लॉक करने) के लिए पासवर्ड तथा कोड;
- (च) उपलब्ध पुरानी प्रमाण–पत्र संख्या के अन्तर्गत, अतिरिक्त ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र क्रय करने के लिए विकल्प;
- (छ) 'नष्ट' या 'अप्रयुक्त' या 'उपयोग के लिए अनुपयुक्त' अनपेक्षित ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र को रद्द करने की प्रसुविधा;
- (ज) किसी ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र को खोजने और देखने हेतु और मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम (एम0आई०एस0) तथा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रिपोर्टस (डी०एस०एस०आर०) तक पहुंचने के लिए विभाग के प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए पासवर्ड्स तथा कोड ;
- (झ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई–स्टाम्पिंग सर्वर पर जारी ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र के ब्यौरे; और
- (ञ) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के वैबसाइट पर नियम 43 में यथावर्णित ई—स्टाम्पिन्ग से सम्बन्धित विभिन्न संव्यवहार के विवरण तथा रिपोर्टों की उपलब्धता, जो केवल मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों की पहुंच में होगे।

प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (ए०सी०सी०ज)

- 12. प्राधिकृत सग्रहण केन्द्रों का नियोजन.—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, स्टाम्प—शुल्क संगृहीत करने के लिए और ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा स्टाम्प—शुल्क प्रदाता के मध्य एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने हेतु, मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को नियोजित करेगा। प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों को संदेय सेवा प्रभार या कमीशन या फीस इत्यादि का विनिश्चय, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के मध्य, अपने स्तर पर उनसे करार पाई गई शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
- 13. प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को नियोजित करने के लिए पात्रता.— भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियन्त्रित कोई राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक या केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित वित्तीय संस्था या उपक्रम या डाकघर या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के कार्यालय अथवा शाखाएं अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य एजेन्सियां (अभिकरण), प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के रुप में नियोजित किए जाने के लिए पात्र होंगे।
- 14. प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की एजैन्सी की समाप्ति (पर्यावसान).—मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, किसी भी समय, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की एजेन्सी समाप्त करने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को निर्देशित कर सकेगा और ऐसे निर्देश पर, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण इस प्रकार के प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की एजेन्सी समाप्त कर देगा।
- 15. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा स्टाम्प–शुल्क का संग्रहण.—(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के समस्त कार्यालय या शाखाएं, स्टाम्प शुल्क प्रदाता से, यथास्थिति, जिला, उप–जिला स्तर पर और मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्थानों पर, स्टाम्प शुल्क की रकम संगृहीत करेंगे।

- (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों की समस्त शाखाएं, इन्टरनेट के माध्यम से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को आबंटित सुभिन्न पहचान संख्या तथा एक गुप्त पासवर्ड का प्रयोग करके मुख्य सर्वर तक पहुंचेंगी। पासवर्ड को अत्यन्त गोपनीय रखा जाएगा और सम्बद्ध प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, गोपनीयता को बनाए रखने के लिए इसके आबंटन के पश्चात, इसे तत्काल बदल देंगे।
- 16. ई—स्टाम्प प्रम्रमाण—पत्र जारी करने के लिए लेखन सामग्री प्रभार.—प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र क्रेता से लेखन सामग्री इत्यादि के लिए निम्नलिखित स्तर के अनुसार फीस प्रभारित करेंगे:—

स्टाम्प-शुल्क की रकम रुपयों में	लेखन सामग्री प्रभार
(1) 100 / —रुपए तक	3/-रुपए प्रति ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र
(2) 100 / –रुपए से अधिक और 1000 / –रुपए	5/-रुपए प्रति ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र
तक	
(3) 1000 / –रुपए से अधिक	10 / —रुपए प्रति ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र

- 17. अवसंरचना.—प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, अपेक्षित कम्प्यूटर प्रणाली, प्रिंटर, इन्टरनेट कनेक्टिविटी (सम्बद्धता) तथा अन्य सम्बन्धित अवसंरचना से सुसज्जित होंगे, जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के परामर्श से, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा यथाविनिद्रिष्ट ई—स्टाम्पिंग प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक हैं। कम्प्यूटर प्रणाली तथा कनेक्टिविटी की आकृति (विन्यास), केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के विनिर्देशों को पूरा करेगी और जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को पूर्व सूचना से परिवर्तन के अध्यधीन हो सकेगी।
- **18. अवसंरचना की लागत.**—नियम 17 में निर्दिष्ट उपकरण और अवसंरचना की लागत, सम्बद्ध प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों द्वारा वहन की जाएगी।
- 19. विभाग के कार्यालयों में हार्डवेयर और अवसंरचना.— सरकार, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जिला रजिस्ट्रार, उप—रजिस्ट्रार के कार्यालयों तथा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य कार्यालयों में आवश्यक हार्डवेयर और अवसंरचना, उपलब्ध करवाएगी जिसमें ई—स्टाम्पिन्ग प्रणाली को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित पसर्नल कम्प्यूटर, प्रिंटर, बार कोड स्कैनर, इन्टरनैट कनैक्शन भी सम्मिलित होंगे।

स्टाम्प-शुल्क का सरकारी लेखा में प्रेषण

- 20. शुल्क की रकम के सरकारी लेखा में प्रेषण की प्रक्रिया.—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, अपने कार्यालयों तथा शाखाओं या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से संगृहीत किये गये स्टाम्प—शुल्क की समेकित रकम का लेखा शीर्ष "0030—स्टाम्प और रिजस्ट्रेशन" अथवा राज्य के किसी अन्य अधिसूचित लेखा शीर्ष में, निम्न रुप से विहित रीति में समाधान करने और प्रेषण करने के लिए उत्तरदायी होगा,—
- (क) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण ई—स्टाम्पिन्ग प्रणाली के माध्यम से इस प्रकार संगृहीत स्टाम्प—शुल्क की समेकित रकम को, करार पाई गई कमीशन या छूट की कटौती के पश्चात्, इस प्रकार के संग्रहण की तारीख के अगले कार्य दिवस के कामकाज का समय बंद होने के अपश्चात्, उपर्युक्त मुख्य शीर्ष को प्रेषित करेगा।
- (ख) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा स्टाम्प—शुल्क की रकम को राज्य के लेखा शीर्ष में प्रेषण करने की रीति, इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिन्ग सिस्टम (ई०सी०एस०) या ऑनलाइन बॉे किन्ग फण्ड ट्रांसफर या चालान या अन्यथा जैसी मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा लिखित में निर्देशित की जाए, के माध्यम से होगी।

(ग) इस नियम में निर्दिष्ट प्रेषण, सरकारी कोष अथवा प्राधिकृत बैंक (कों) को किए जाएंगे और केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्ररुप—3 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर में, इस प्रकार के प्रेषणों का दैनिक लेखा—जोखा रखेगा।

अध्याय-5

लोप और अतिक्रमण के लिए शास्ति

21. सरकारी लेखे के ष्रेषण में देरी के लिए शास्ति.—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के, नियम 20 के खण्ड (क) में नियत अविध के भीतर, राज्य लेखा शीर्ष में संगृहीत स्टाम्प—शुल्क की रकम को प्रेषित करने में असफल रहने की दशा में, केन्द्रीय अभिलेख सुरक्षा अभिकरण निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार स्टाम्प शुल्क की संगृहीत रकम के साथ—साथ देरी के लिए शास्ति संदत्त करने हेतू दायी होगा :——

देरी की अवधि	शास्ति
	केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को संदेय
तीसरे दिन या उसके बाद प्रेषित की गई हो;	कमीशन या छूट की पूर्ण रकम।
(2) जब स्टाम्प–शुल्क की इस प्रकार संगृहीत रकम	संगृहीत स्टाम्प–शुल्क की रकम का एक प्रतिशत,
आठवें दिन के अवसान के पश्चात् प्रेषित की गई	प्रतिदिन के हिसाब से, संयोजित शास्ति अधिरोपित
हो;	की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए प्रथम दिन
	संव्यवहार का दिन होगा।

- 22. शास्ति को शिथिल करने या उससे छूट देने की शक्ति.—मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, नियम 21 के अधीन पूर्ण शास्ति, या उसके भाग को, अपरिहार्य परिस्थितियों में या युक्तियुक्त नियन्त्रण से परे उत्पन्न किसी कारण से, जिसमें देवी घटनाएं, सिविल या मिलिटरी प्राधिकरण के कार्यकलाप, आगजनी, महामारी, युद्ध, आतकं वादी कृत्य, दंगे, भूकम्प, तूफान, ज्वार—भाटा, बाढ़ भी शामिल हैं, शिथिल अथवा माफ कर सकेगा। इस प्रकार की कोई देरी होने की स्थिति में, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने के लिए दिए गए समय को, देरी के कारण बीत चुके समय के बराबर अविध के लिए बढ़ाया जाएगा।
- 23. विवादों का समाधान.—इन नियमों के अधीन पक्षकारों के मध्य किसी विवाद्यक पर उत्पन्न हुए किसी विवाद की दशा में, वितायुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और इस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय-6

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया

- 24. ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र की प्राप्ति.—स्टाम्प—शुल्क संदत्त करने वाला कोई भी व्यक्ति, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की किसी शाखा पर पहुंचेगा और ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के लिए स्टाम्प—शुल्क के संदाय के साथ प्ररुप—4 में वांछित (अपेक्षित) विवरण देगा।
- 25. स्टाम्प–शुल्क के संदाय का ढंग.— (1) ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र क्रय करने के लिए संदाय, नकद, अदायगी आदेश, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिना सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सैटलमैन्ट या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निधि हस्तान्तरण की किसी भी अन्य रीति द्वारा किया जा सकेगा।
- (2) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, उप–नियम (1) के अधीन प्राप्त रकम के लिए ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र जारी करेगा।
- (3) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण, प्ररुप–5 में उन द्वारा अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में, जारी किए गए ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों का दैनिक लेखा–जोखा रखेंगे और रजिस्टर के सुसंगत स्तम्भ पर, यथास्थिति, क्रेता या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर लेंगे।

- 26. ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए शर्तें और ढंग.——(1) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, यह सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति जिसे ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, वह उनके अभिकरण या संस्था का नियमित पूर्णकालिक कर्मचारी है और उपयुक्त प्रत्यय—पत्र रखता है।
- (2) यथास्थिति, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण का प्राधिकृत कर्मचारी, नियम 25 के अधीन किए गए संदाय पर, कम्प्यूटर प्रणाली में आवेदक द्वारा आवेदन प्ररुप 4 पर उपलब्ध करवाई गई अपेक्षित सूचना और ब्यौरों को प्रविष्ट करेगा, आवेदक द्वारा प्रमाणित इस प्रकार के प्रविष्ट ब्यौरों का शुद्धिकरण करेगा, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र को डाउनलोड करेगा, इसका प्रिन्ट निकालेगा, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के दायीं ओर नीचे की ओर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा, कार्यालय मोहर (मुद्रा) लगाएगा तथा सत्यापन के साक्ष्य के तौर पर ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र की बायीं ओर आवेदक के हस्ताक्षर करवाने के पश्चात् उसे जारी करेगा।
- (3) ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु, न घुलने वाली पक्की काली स्याही अथवा ऐसी ही अन्य उचित रंग तथा शेड, जैसा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का प्रिण्ट (छपाई) चमकीला, स्पष्ट और विशिष्ट होगा तथा अतिव्यापी (ओवरलैप) नहीं होगा। निर्गम अधिकारी का नाम और पदनाम दर्शाती मुद्रा एवं हस्ताक्षर और निर्गम शाखा का नाम, अधिमानतः काली स्याही में लिखा जाएगा।
- 27. कागज का आकार तथा ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का मुद्रित क्षेत्र.——नियम 11 के उप नियम (1) के खण्ड (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र, 21.5 ग 34.5 सैंटीमीटर आकार के लीगल माप कागज पर, बायीं ओर 3.5 सैंटीमीटर, दायीं ओर 1.5 सैंटीमीटर तथा कागज के शीर्ष पर 2 सैंटीमीटर के हाशिया (उपान्त) के साथ या ऐसे अन्य आकार अथवा मार्जिन पेपर पर, जैसा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, मुद्रित या जनित किया जाएगा।
- 28. वैबसाइट पर ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के ब्यौरे.—जारी किए गए प्रत्यके ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का ब्यौरा, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा अनुरक्षित ई-स्टाम्पिंग सर्वर (ई०-एस०एस०) पर उपलब्ध करवाया जाएगा और यह मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी जिसमें रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक, जिला रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार भी हैं, द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति, जो वैध कोड तथा पासवर्ड रखता हो, जिसे केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, की पहुंच में होगा।
- 29. अतिरिक्त स्टाम्प-शुल्क का संदाय.—यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति, जिसके पास किसी लिखत के लिए जारी निश्चित अभिधान का ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र है, उसी लिखत पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क संदत्त करना आवश्यक समझता है, तो वह नियम 25 के उपबन्धों के अनुसार, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को अतिरिक्त स्टाम्प-शुल्क के साथ प्ररुप-4 पर आवेदन करेगा।
- 30. अतिरिक्त ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया.——(1) प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण नियम 26 और 27 के अनुसार कागज की पृथक शीट पर अतिरिक्त ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी करेगा।
- (2) विलेख का कोई पक्षकार, अपने विवेकानुसार, अधिनियम के अधीन ऐसी लिखत पर संदेय स्टाम्प—शुल्क को संदत्त करने हेतु, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के साथ, छपे हुए (छापित) नान—जुडिशियल स्टाम्प—पेपर(रों) तथा फ्रैंकिन्ग मशीन की छाप(पों) का उपयोग कर सकेगा। एक ही लिखत में, एक प्रकार के स्टाम्प का उपयोग दूसरे प्रकार के स्टाम्प के उपयोग को वर्जित नहीं करेगा।
- 31. ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का उपयोग.—(1) एक ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के साथ स्टाम्पित और छापित कागज पर लिखी गई प्रत्येक लिखत, ऐसी रीति में लिखी जाएगी, जिससे ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र उस लिखत के शीर्ष पर प्रकट हो सके और लिखत का एक हिस्सा ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के मुद्रित क्षेत्र के नीचे लिखा जाए ताकि ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र किसी अन्य लिखत के लिए उपयोग में लाया जा सके या लागू न हो सके।

- (2) शुल्क से प्रभार्य कोई भी दूसरी लिखत, ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का प्रयोग कर लिखी नहीं जाएगी, जिस पर शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पहले ही लिखी जा चुकी है।
- (3) उप—नियम (1) और (2) के उल्लंघन में लिखा गया प्रत्येक विलेख, अस्टाम्पित माना जाएगा और उसे इन नियमों के नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- 32. **ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र की विशिष्ट एकमात्र पहचान संख्या (यू०आई०एन०).**—ई—स्टाम्प प्रमाणपत्र की सुभिन्न एकमात्र पहचान संख्या, लिखत के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष के दायीं तरफ लिखी या टंकित की जाएगी।
- 33. ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के ब्यौरों का सत्यापन और बन्द करना (लॉकिंग).--(1) रिजस्ट्रीकरण अधिकारी, किसी लिखत को रिजस्ट्रीकृत करने से पूर्व, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की सुसंगत वैबसाई पर प्रवेश करके और एकमात्र (यूनीक) पहचान संख्या (यू०आई०एन०) की प्रविष्टि करके या बार कोड स्कैनर के प्रयोग से सहायता से, ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की सत्यता (शुद्धता) अथवा प्रामाणिकता का सत्यापन करेगा। रिजस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सत्यापन के पश्चात् दस्तावेज का रिजस्ट्रीकरण करने हेतु प्रक्रिया अपनाएगा और दस्तावेज का रिजस्ट्रीकरण करने के पश्चात्, इस प्रकार के ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के पुनःउपयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा उपलब्ध करवाये गए कोड तथा पासवर्ड का प्रयोग करके, उक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को बन्द (लॉक) करेगा।
- (2) वैकल्पिक रजिस्ट्रीकरण करने योग्य दस्तावेज या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अपेक्षित किसी ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र को, जिला रजिस्ट्रार, उप—रजिस्ट्रार या मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से अधिमानतः सत्यापित या अधिप्रमाणित और बन्द (लॉक) किया जा सकेगा।
- (3) जिला रजिस्ट्रार, उप–रजिस्ट्रार और मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी अन्य अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह किसी ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता या शुद्धता का सत्यापन करे।

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का प्रतिदाय (रिफंड) या छूट (मोक)

- 34. 'खराब' या 'गलती से उपयोग में लाए गए' अथवा 'उपयोग के लिए अनपेक्षित' ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र के प्रतिदाय या छूट (मोक) के लिए प्रक्रिया.——(1) 'खराब' या 'गलती से उपयोग में लाए गए' अथवा 'उपयो के लिए अनपेक्षित' ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का प्रतिदाय अथवा छूट (मोक) प्रदान करने हेतु आवेदन, अधिनियम के अध्याय—5 के अनुसार निर्धारित अविध के भीतर जिला कलक्टर को किया जाएगा। आवेदन के साथ 'खराब' या 'गलती से उपयोग में लाए गए' या 'उपयोग के लिए अनुपयुक्त' ई—स्टाम्प प्रमाणपत्र को संलग्न किया जाएगा।
- (2) जिला कलक्टर सत्यापन करने के पश्चात् केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की सम्बद्ध वैबसाईट पर सत्यापित ई—स्टाम्प प्रमाणपत्र को रद्द और बन्द (लॉक) करेगा, रद्दकरण के तथ्य की पुष्टि करेगा, मूल ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र पर "रद्द" अंकित करके अपने हस्ताक्षर और मुहर लगाएगा तथा सेवा शुल्क के रुप में प्रदत्त स्टाम्प शुल्क का दस प्रतिशत घटाकर और केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण को दी जाने वाली कमीशन अथवा छूट को भी घटाकर, बकाया राशि का प्रतिदाय करेगा।
- (3) जिला कलक्टर, अपने कार्यालय में रद्द किए गए ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्रों का अभिलेख रखेगा तथा मूल रदद् ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र गार्ड फाइल में, कार्यालय अभिलेख के लिये रखे जाएंगे इसकी रिपोर्ट, प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।
- (4) प्रतिदाय, यदि उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात किया गया हो, तो जिला कलक्टर द्वारा, उस व्यक्ति के पक्ष में, जिसके नाम पर ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र जारी किया गया था, प्रतिदाय वाउचर या चैक के माध्यम से किया जाएगा।

निरीक्षण, लेखा परीक्षण तथा प्रणाली के निष्पादन की मूल्यांकन समीक्षा

- 35. निरीक्षण.——(1) जिला रजिस्ट्रार या उसके कार्यालय का कोई प्राधिकृत अधिकारी, जो जिला राजस्व अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, तथा अधिनियम के अधीन नियुक्त स्टाम्प लेखा परीक्षक, अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों की किन्हीं या सभी शाखाओं का, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करेगा।
- (2) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, किसी भी समय, कोई परिवाद (शिकायत) प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से, विभाग के किसी अधिकारी को केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की किसी शाखा या कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश दे सकेगा तथा ऐसे निदिष्ट किए गए अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहेगा।
- (3) महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण की प्राप्तियों और प्रेषणों का, नियमित वार्षिक लेखा परीक्षण भी कर सकेगा।
- (4) मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत अधिकारी को, राज्य में अथवा राज्य के बाहर स्थित केन्द्रीय अभिलेख सुरक्षा अभिकरण की किसी भी शाखा (ओं) अथवा कार्यालय (यों), जिसमें राज्य में स्थित प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की शाखा (यें) भी शामिल हैं व जो राज्य से सम्बन्धित ई—स्टाम्पिंग प्रणाली का कार्य कर रहे हों, के अभिलेख का बिना कोई नोटिस दिए, उनके सुविधाजनक समय पर, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी।
- 36. सूचना उपलब्ध करवाना.—केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण तथा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, निरीक्षण करने वाले अधिकारी को किसी भी अविध के स्टाम्प शुल्क संग्रहण तथा प्रेषण से सम्बन्धित किसी इलैक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल अभिलेख की सॉफ्ट या हार्ड प्रति की सूचना उपलब्ध करवाएगा और सम्बद्ध केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र इस प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा।
- **37. निरीक्षण रिपोर्ट**.——निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, अपनी निरीक्षण रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 38. मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्रवाई का किया जाना.—मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी ऐसी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इन नियमों के अध्याय—5 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित, समुचित कार्रवाई कर सकेगा तथा सुनवाई का एक अवसर देकर, यदि समुचित आधार हो तो केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र की नियुक्ति पर्यवसित कर सकेगा।

अध्याय-9

मध्यस्थम् और लोक शिकायत निवारण प्रणाली

- 39. परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी.——जिला रिजस्ट्रार या जिला राजस्व अधिकारी, ई—स्टाम्पिन्ग प्रणाली के कार्यान्वयन में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किए गए अवचार या अनियमितता के विरुद्ध प्राप्त परिवाद (शिकायत) की जांच करने के लिए 'परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी' होगा।
- 40. परिवाद (शिकायत) निवारण अधिकारी को शिकायत.—कोई व्यक्ति, जिसे इन नियमों के कार्यान्वयन की बाबत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या इसके किसी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या किसी अन्य कर्मचारी की सेवाओं के विरुद्ध कोई शिकायत हो, तो वह सम्बन्धित परिवाद निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकेगा।

- 41. सुनवाई का अवसर.—परिवाद निवारण अधिकारी, नियम 40 के अधीन प्राप्त शिकायतों (परिवादों) की बाबत, सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देकर, जांच करेगा तथा पूरे तथ्यों और निष्कर्ष सहित जांच रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 42. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई.—मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर समुचित कार्रवाई करेगा या सम्बद्ध कर्मचारी के नियोक्ता को समुचित कार्रवाई करने हेतु, उपयुक्त सिफारिश करेगा।

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम०आई०एस०) / विनिश्चय सहायता प्रणाली (डी०एस०एस०)

- 43. केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.——(1) इस प्रणाली के माध्यम से संगृहीत तथा सरकारी लेखे में प्रेषित स्टाम्प—शुल्क का पूर्ण विवरण, केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा, दिनानुदिन आधार पर, अभिलिखित किया जाएगा तथा यह निम्नलिखित सूचना और रिपोर्ट मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा:—
 - (i) लेखा परीक्षा रिपोर्टें ;
 - (ii) संदाय रिपार्टै;
 - (iii) अतिरिक्त स्टाम्प-शुल्क प्रमाणपत्र रिपोर्टै;
 - (iv) तालाबन्द ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र रिपोर्ट;
 - (v) प्रेषण रिपोर्टैं:
 - (vi) रदद् किए गए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र रिपोर्ट, और
 - (vii) कोई अन्य रिपोर्ट या सूचना, जो मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो।
- (2) केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा इन्टरनैट के माध्यम से ई—स्टाम्प सर्वर के आंकड़ों से उपनियम (1) के अधीन प्रबन्धन सूचना प्रणाली / विनिश्चय सहायता प्रणाली की रिपोर्ट का उद्धरण उपलब्ध करवाया जाएगा।

अध्याय-11

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की परिधि, विस्तार और उपयोग

44. ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के उपयोग की परिधि.—-नान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर तथा फ्रैंकिन्ग मशीन की छपाई के अतिरिक्त, ऐसे सभी प्रकार के विलेखों, जिन पर अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क देय हो, में ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का उपयोग किया जाएगा।

आदेश द्वारा, **दीपक सानन,** प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

प्ररुप—। [नियम 6 (1) देखें]

करार

यह करार वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसकी ओर से मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के रुप में सम्यक् रुप से प्राधिकृत महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण, जिसका कार्यालय ब्लॉक 28, एस०डी०ए० कम्पलैक्स, शिमला—171009, हिमाचल प्रदेश में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है, और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं' कहा गया है, के मध्य हिमाचल प्रदेश

प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार को पक्षकारों के रुप में एक साथ निर्दिष्ट किया गया है।

1538

निष्पादित और निविष्ट किया गया है।

केन्द्र सरकार की सिफारिश पर या सम्यक् बोली प्रक्रिया के पश्चात्, द्वितीय पक्षकार को, प्रथम पक्षकार द्वारा, सरकार की अधिसूचना संख्याद्वारा तारीखतारीख होरा हिमाचल प्रदेश सरकार को स्टाम्प-शुल्क के संदाय को निर्दिष्ट करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड स्टाम्प डयूटी एडिमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0-एस0डी0ए0एस0) के लिए और ई-स्टाम्पिंग तंत्र के माध्यम से संग्रहित स्टाम्प शुल्क की रकम के......प्रतिशत कमीशन या छूट के संदाय के लिए प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ए०सी०सी० कहा जाएगा) के माध्यम से या इनकी अपनी शाखाओं या कार्यालयों के माध्यम से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

और द्वितीय पक्षकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण के रूप में कार्य करने और ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र के अंतिम केता से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से स्टाम्प शुल्क के संग्रहण हेत् एक प्रणाली विकसित करने के लिए सहमति दी है।

अतः एतद्द्वारा, पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि :--

- द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की सलाह पर, जिसमें महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, हिमाचल प्रदेश, जिला रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों में और प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में मने सर्वर के साथ इसके संयोजन अर्थात् स्टाम्प-शुल्क के संदाय के लिए सम्पर्क स्थान बनाने तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य के अन्य नामनिर्दिष्ट स्थानों या कार्यालयों में आवश्यक आधार साफ्टवेयर तैयार करने के लिए सहमति दी है।
- द्वितीय पक्षकार स्टाम्प-शुल्क के संग्रहण हेत् और ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र जारी करने में प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र का चयन करने को सुकर बनाएगा।
- द्वितीय पक्षकार, केन्द्रीय सर्वर, प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ए०सी०सी० कहा गया है) और महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, जिला रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों या राज्य में कोई अन्य कार्यालय या स्थान, जैसा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट, किया जाए, के मध्य एक समन्वयक के रुप में कार्य करेगा।
- द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की ओर से स्टाम्प-शुल्क संगृहीत करेगा तथा कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र तैयार करेगा।
- द्वितीय पक्षकार, हिमाचल प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 20 के अनुसार, अपनी शाखाओं अथवा अपने प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से संगृहीत स्टाम्प-शुल्क की समेकित रकम को राज्य सरकार के लेखे के सुसंगत शीर्ष में भेजने के लिए बाध्य होगा।
- द्वितीय पक्षकार ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा और उपलब्ध करवाएगा जैसी प्रथम पक्षकार द्वारा समय-समय वांछनीय हों।
- द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की लिखित अनुज्ञा के बिना, सम्यक् रुप से नियुक्त प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के सिवाय, किसी अन्य को, राज्य में इसके द्वारा चलाई गई ई-स्टाम्पिंग परियोजना के बारे में,

किसी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा किसी अन्य प्रौद्योगिकी या ब्यौरे को उपलब्ध, हस्तान्तरित अथवा साझा नहीं करेगा।

- 8. द्वितीय पक्षकार ई—स्टाम्पिंग प्रणाली के माध्यम से संगृहीत स्टाम्प शुल्क की राशि के......प्रितशत की सहमत दर से अधिक कमीशन या छूट प्रभारित नहीं करेगा। द्वितीय पक्षकार संगृहीत स्टाम्प—शुल्क में से ऐसी कमीशन घटाएगा तथा बकाया राशि को राजकोष को भेजेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार को दी जाने वाली कमीशन या छूट, नियमों के नियम 20 के खण्ड (क) की शर्त के अध्यधीन होगी।
- 9. यदि द्वितीय पक्षकार नियत अवधि के भीतर, राज्य लेखा शीर्ष में संगृहीत स्टाम्प—शुल्क की रकम को भेजने में विफल रहता है, तो द्वितीय पक्षकार नियमों के अध्याय—5 में यथाउपबंधित देरी के लिए शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा।
- 10. द्वितीय पक्षकार इस करार के किन्हीं निबंधनों और शर्तों या नियमों के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमणों के कारण हिमाचल प्रदेश राज्य को कारित किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा।
- 11. द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, न ही अपनी अवस्थिति और न ही ए०सी०सी० की संख्या परिवर्तित करेगा।
- 12. प्रथम पक्षकार को, बिना किसी नोटिस के द्वितीय पक्षकार अथवा इसके ए०सी०सी० के सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।
- 13. इस करार के निबंधन और शर्तों को उन परिस्थितियों, जिनका स्टाम्प–शुल्क के संदाय और संग्रहण के सुचारु प्रचालन के लिए कोई ऐसा परिवर्तन आवश्यक हो, के आधार पर पक्षकारों द्वारा परिवर्तित अथवा बढ़ाया जा सकेगा।
- 14. द्वितीय पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि कम्पयूटराइज्ड स्टाम्प ड्यूटि एडिमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (सी0-एस0डी0ए0एस0) की सेवा, प्रचालित रहेगी तथा सोमवार से शनिवार को 9 बजे प्रातः से 5 बजे सायं के दौरान, किसी भी व्यक्ति को सुलभ होगी।
- 15. द्वितीय पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली एक ही समय में, कम से कम चार सौ उपभोक्ताओं के लिए लॉग करने में सक्षम हो।
- 16. द्वितीय पक्षकार, प्रणाली के प्रचालन तथा उपयोग के लिए विभाग की चिन्हित मानव शक्ति या कर्मचारियों को प्रथम पक्षकार द्वारा विनिश्चत स्थान पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, द्वितीय पक्षकार अपने खर्च पर, प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए आवश्यक समस्त सुविधाएं, उपस्कर तथा परिसर की व्यवस्था करने तथा उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 17. पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रुप से विनिश्चित किए जाने वाले कालिक अन्तरालों पर, द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रणाली के किसी उन्नयन, उपांतरण पर पुनश्चर्या की व्यवस्था की जाएगी।
- 18. इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकारों के नियन्त्रण से बाहर ऐसी अन्य अपिरहार्य पिरिस्थितियों सिहत, जिनमें दैविक घटनाएं सिविल या मिलिटरी घटनाएं, आग, महामारी, युद्ध, आतंकवादी घटनाएं, बलवा, भूकम्प, तूफान, बवंडर, बाढ़ भी शामिल है, से उद्मूल कारणों से दायित्व के निर्वहन में असफलता, विलम्ब की दशा में, द्वितीय पक्षकार द्वारा अपना कार्य करने के समय को, ऐसे विलम्ब के कारण हुए समय के नुकसान के बराबर अविध के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त आकिस्मकता को प्रथम पक्षकार द्वारा जारी किए गए नोटिस पर या उक्त करार को दो माह से अधिक अविध के लिए बढ़ाकर भी पूरी तरह से समाप्त न किया जा सकता हो, तो द्वितीय पक्षकार के उन अधिकारों के सिवाय, जिनके लिए वे व्यवस्थित और अन्तिम लेखाकरण के हकदार हैं, करार को समाप्त कर अनुबन्धित दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

19. इस करार के अधीन या सम्बन्ध में, पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद या अन्तर या मतभदे या दावा पैदा होने की स्थिति में, जहां तक सम्भव हो, आपसी समझौते के द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसा न होने की स्थिति में इस प्रकार के सभी मामले वित्तायुक्त (अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार की ओर से मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के ज्	
श्रीने इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।	द्वताय पद्मकार का आर स
(1) (साक्षी का नाम, पता आरै व्यवसाय)	प्रथम पक्षकार
(साक्षी के हस्ताक्षर)	
(2)(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)	
(साक्षी के हस्ताक्षर)	
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।	
(1)(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)	द्वितीय पक्षकार
(साक्षी के हस्ताक्षर)	
(2)(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)	
(साक्षी के हस्ताक्षर)	
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।	
स्थानः शिमला। तारीखः	
———— प्ररुप—2	

नियम 6 (3) देखें,

(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा 15 / –रुपए के नान–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला)

वचन एवं क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र

यह वचन (परिवचन) प्रथम पक्षकार के रुप में(केन्द्रीय अभिलेखे अनुरक्षण अभिकरण
का नाममें स्थित है, द्वारा श्री
जो (केन्द्रीय अभिलेख [ँ] अनुरक्षण अभिकरण में शासकीय पद) के रुप में कार्य कर रहे हैं तथा
प्राधिकृत हस्ताक्षरी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है, और इसके अन्तर्गत उनके
प्रतिनिधि, समनुदशिती, वारिस आदि भी है जब तक कि, ऐसा संदर्भ या उनके अर्थ के विरुद्ध नहीं है) और
हिमाचल प्रदश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के पक्ष में आज तारीख
को किया गया।

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 जुलाई, 2011 / 27 आषाढ़, 1933 प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार को पक्षकारों के रुप में एक साथ निर्दिष्ट किया गया है।

यह कि, प्रथम पक्षकार को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या	नियुक्त 1 करने अपनी
यह कि, प्रथम पक्षकार, तारीख को पक्षकारों द्वारा निष्पादित करार में वर्णित नियमों एवं शर्तों को पूरा करने तथा किसी प्रकार के गलत प्रचालन, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या प्रथम पक्षकार इसके प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के कारण हुई किसी प्रकार की कोई अनियमितता के कारण, द्वितीय द्वारा हुए सारे या किसी प्रकार के नुकसान के विरुद्ध द्वितीय पक्षकार को क्षतिपूरक रखने का (क्षतिपृ गारंटी देने का) वचन देने के लिए सहमत होगा।	अथवा पक्षकार
यह कि प्रथम पक्षकार उक्त करार के नियमों एवं शर्तों तथा हिमाचल प्रदेश ई–स्टाम्पिंग नियम और इन नियमों के अन्तर्गत सरकार अथवा विभाग अथवा सरकार द्वारा जारी किए किसी अन्य आज्ञापालन एवं अनुपालन करने के लिए सहमत है।	
यह कि, वर्तमान बन्ध-पत्र के निष्पादन के द्वारा उक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रथम प निम्न प्रकार से द्वितीय पक्षकार को क्षतिपूरक रखने का (क्षतिपूर्ति की गारंटी देने का) वचन देने व सहमत होगा:-	
(i) प्रथम पक्षकार ने हिमाचल प्रदेश ई—स्टाम्पिन्ग नियम, 2011 तथा तारीखको निष्पादित करार की शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वचन देता है कि उपरोक्त नियमों उपब उक्त करार की शर्तों का किसी भी स्तर पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा;	
(ii) प्रथम पक्षकार एतद्द्वारा वचन देता है कि प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र, द्वितीय पक्षकार की पूर के बगैर नियुक्त नहीं किए जाएंगे;	र्गनुमति
(iii) प्रथम पक्षकार वचन देता है कि इसका कोई कर्मचारी या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र के व प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्टाम्प—शुल्क के प्राधिकार का दुरुपयोग नहीं कारित करेगा या कारित करवाएगा	
(iv) प्रथम पक्षकार एतद्द्वारा द्वितीय पक्षकार के, प्रथम पक्षकार या इसके प्राधिकृत संग्रहण द्वारा कारित किसी प्रकार के गलत प्रचालन, दुर्व्यवहार या उपेक्षा या किसी प्रकार की अनियमितता से जोखिम, चाहे जो भी हो, की समस्त या किसी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सदैव वचनबद्ध है।	
इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार ने उपरोक्त लिखित वचन बन्ध पत्र में इस पर अपने हस्ताक्षर मुहर लगा दी है।	करके
हस्ताक्षर, मुहर और वितरण करने (प्रथम पक्षकार का नाम एवं प	
(1)(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी के हस्ताक्षर)	
(2)(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)(साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।	

परुप-३

[नियम 20 (4) देखे]

(केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण द्वारा रखा जाने वाला)

दैनिक स्टाम्प-शुल्क संग्रहण तथा सरकारी लेखा प्रेषण बारे रजिस्टर

							रियमरा लख				
क्रम सं0	तारीख	सी0 आर0 ए0 का नाम	जारी किए गए ई– स्टाम्प प्रमाण पत्र की कुल संख्या	सगृहीत स्टाम्प शुल्क की राशि		प्रेषण के लिए बकाया की पूर्व राशि (स्तम्भ संख्या 12 में पिछली प्रविष्टि में दिखाई गई राशि)	प्रेषण के लिए कुल राशि (7+8)	सरकारी लेखा में प्रेषित राशि	स्तम्भ संख्या 10 में प्रेषित राशि पर छूट / कमीशन के रूप में सी0 आर0 ए0 द्वारा घटाई राशि	प्रेषण के लिए कुल बकाया राशि (9—10—1 1)	
				नकद	डी०डी० / पी०ओ० द्वारा	कुल (5+6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्ररुप-4

[नियम 24 और 29 देखें]

स्टाम्प-शुल्क संदायकर्त्ता द्वारा प्रयोग के लिए,

ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र / अतिरिक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र

ए०सी०सी०		ए०सी०सी०—आई०डी०	
विलेख का विवरण	अनुच्छेद	सम्पति का विवरण	

प्रथम पक्ष का नाम और पता,					
फोन नं0 सहित					
द्वितीय पक्ष का नाम और पता,					
फोन नं0 सहित					
क्रेता / प्राधिकृत व्यक्ति, यदि को	ई हो, का	ा नाम			
और पता, फोन नं0 सहित					
स्टाम्प–शुल्क अदाकर्ता (√चिन्ह)		о प्रथ	म पक्ष	o द्वितीय पक्ष
	स्टा	म्प–शुल्क संव	दाय विव	वरण	
प्रतिफल राशि (यदि कोई				भुगतान का ढंग	Т
हो)	० नकद			o डीoडीo	o पे आर्डर
रुपए		टी०जी०एस०		0 010010	o कोई प्राधिकृत ढंग
स्टाम्प–शुल्क की राशि	O GIRO	CIONIOSTIO		ई0सी0एस0	0 पगर् श्राम्पर्ध ७१
रुपए				201107110	
डी०डी० / पे० आर्डर, आदि की				तारीखः	/ / 20
संख्या				ma.	/ / 20
बैंक शाखा का नाम	L				
(i) कृपया उपरोक्त राशि का ई तारीख किया जाए। तारीख:	—स्टाम्प क्री निरन्त	प्रमाण–पत्र उ तरता में उपर	जारी वि रोक्त र	ाशि का अतिरि	(ii) पूर्व संख्या क्त ई–स्टाम्प प्रमाण–पत्र जा ा / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
सी० आर० ए०	∕ ए०सी०ः	सी0 द्वारा रर्ख	ो जाने	वाली ई—प्रमाण	गत्र की पावती
of And			-		
श्रा / श्रामताप्रमाण–पत्र आज					रुपए का ई–स्टा
प्रमाण—पत्र आण		471 9	1141 147	વા પાવા &	
				क्रेत	ı / प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्ष ्
	स्टा	म्प–शुल्क के	संदाय	की रसीद	
क्रेता / प्राधिकृत व्यक्ति का नाम		-			
आवेदन की तारीख					
प्रतिफल राशि (यदि कोई हो)				संदाय का	ढंग :
रुपए		o नकद		o डੀ0डੀ0	o पे आर्डर
स्टाम्प-शुल्क की रकम		आर0टी0जी0एस		o ई0सी0एस0	o कोई प्राधिकृत ढंग
रुपए					
डी०डी० / पे० आर्डर, आदि का न	io			तारीखः /	/20
बैंक शाखा का नाम		<u></u>			

नोट.—एक बार ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र बन जाने पर संदाय सी०आर०ए० और ए०सी०सी० द्वारा रद्द या प्रतिदाय नहीं किया जाएगा। "खराब" या "दुरुपयोग किए गए" या "उपयो हेतु अनपेक्षित" ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र का प्रतिदाय अथवा संदाय, हिमाचल प्रदेश ई—स्टाम्पिंग नियम, 2011 के अध्याय 7 के अनुसार जिला कलक्टर द्वारा किया जा सकता है।

सी0आर0ए0 / ए0सी0सी0 के मुद्रा सहित हस्ताक्षर

प्ररुप-5

[नियम 25 (3) देखें]

[ए०सी०सी० या सी०आर०ए० द्वारा रखा जाने वाला]

जारी किए गए ई-स्टाम्प प्रमाणपत्रों के आवेदनों की दैनिक प्रविष्टियों से सम्बन्धित रजिस्टर

क्रम संया विस्ति का नकद (डी०डी० / पी०ओ० / किसी अन्य ई—स्टाम्प प्रमाण—पत्र प्राधिकृत ढंग से दिए गए स्टाम्प शुल्क की संख्या एवं तारीख हस्ताक्षर 1 2 3 4 5 6						
नाम और पता की रकम की संख्या व्यक्ति के एवं तारीख हस्ताक्षर		ताराख	क्रता / प्राधिकृत	नकद / डा०डा० / पा०आ० / किसी अन्य	इ—स्टाम्प	क्रता या
एवं तारीख हस्ताक्षर	संया		व्यक्ति का	प्राधिकृत ढंग से दिए गए स्टाम्प शुल्क	प्रमाण–पत्र	प्राधिकृत
एवं तारीख हस्ताक्षर			नाम और पता	की रकम	की संख्या	व्यक्ति के
					, i (ii (i = i	CVIIII
		0	0			0
	1	2	3	4	5	6

[नियम 11 (1) (ठ) देखें]




भारत नान-जुडिशियल पेपर

माप्ति (२००४) सत्यमेष जयते	हेमाचल प्रदेश सरकार ई–स्टाम्प			
प्रमाण पत्र संख्या :				
प्रमाण पत्र जारी करने की त	गरीख :			
लेखा सन्दर्भ :				
एकमात्र विलेख संदर्भ :				
केता :				
विलेख का विवरण :				
सम्पत्ति का विवरण :				
प्रतिफल राशि : (रुपए)				
प्रथम पक्ष :				
द्वितीय पक्ष :				
स्टाम्प शुल्क प्रदाता :				
स्टाम्प शुल्क की राशि : (रु	नए)			
·	कृपया इ	स पंक्ति के नीचे ि	लेखें या टंकित क	₹

REVENUE DEPARTMENT

"The Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011"



[Authoritative English text of this department notification No. Rev. 1-3 (stamp)-1/85-VI dated 12th July, 2011 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF REVENUE (Stamps & Registration)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th July, 2011

No. Rev.1-3(Stamp)-1/85-VI.—In exercise of the powers conferred by sections 10, 74 and 75 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

CHAPTER- I

Preliminary

- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force at once.
 - **2. Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Stamp Act, 1899 (Act No, II of 1899);
 - **(b)** "Agreement" means the Agreement executed under rule 6;
 - (c) "Appointing Authority" means the Government of Himachal Pradesh;
 - (d) "Authorised Collection Centre" means an agent appointed under rules 12 and 13 of these rules, to act as an intermediary between the Central Record Keeping Agency and the Stamp Duty Payer, for collection of stamp duty and issuing the e-Stamp Certificate;
 - **(e) "Central Record Keeping Agency"** means an agency appointed under rules 3 and 4 of these rules for the Computerized Stamp Duty Administration System (C-SDAS);
 - (f) "Chief Controlling Authority" means Financial Commissioner (Revenue) Government of Himachal Pradesh and shall include the Inspector General of Registration of Himachal Pradesh appointed under section 3 of the Registration Act, 1908, if so authorized by him in this behalf;
 - (g) "Department" means the Revenue Department of the Government;
 - **(h) "e-Stamp Certificate"** means the impression or tamper- proof certificate of stamp, electronically generated by the Central Record Keeping Agency, on the paper as specified under rule 27, to denote the payment of stamp duty chargeable under the Act:
 - (i) "Form" means a Form appended to these rules;
 - (j) "Government" means the Government of Himachal Pradesh;
 - (k) "Grievance Redressal Officer" means the officer as specified in rule 39 of these rules:
 - (I) "Section" means a section of the Act; and
 - (m) "State" means the State of Himachal Pradesh.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act and the Registration Act, 1908 and the rules framed under them.

CHAPTER-II

Central Record Keeping Agency

3. Eligibility for appointment as Central Record Keeping Agency.—Any Public Financial Institution or Nationalized or Scheduled Bank controlled by Reserve Bank of India or Body Corporate or Organization or any Company engaged in providing depository services appointed by Central Government and recognized by State Government or any Body Corporate where not less than fifty one percent of equity capital is held by any of the above entities, either solely or in consortium, shall be eligible for appointment as Central Record Keeping Agency.

- 4. Appointment of Central Record Keeping Agency.—The Appointing Authority on the recommendations of the Chief Controlling Authority shall appoint an agency by notification, which has been specified under Clause (26) of Section 2 of the Act to function as Central Record Keeping Agency for the State or for the specified district(s) or sub-district(s) or places in the State, by adopting any of the following orders of preference, namely,-
- (a) on the basis of recommendations, if any, of the Central Government regarding appointment of Central Record Keeping Agency;
- (b) on the absence of such recommendation by inviting technical and commercial bids through a duly constituted expert selection committee by the Appointing Authority.
- **5. Term of appointment.**—The term of appointment of the Central Record Keeping Agency shall be valid for five years or such period as may be decided by the Appointing Authority.
- **6. Agreement and Undertaking-cum-Indemnity Bond.**—(1) The Central Record Keeping Agency shall execute an Agreement with the Chief Controlling Authority or his duly authorized officer in **Form -1**.
- (2) The terms and conditions of the Agreement may be modified by mutual consent of both the parties.
- (3) The Central Record Keeping Agency shall execute an Undertaking–cum-Indemnity Bond in favour of the Government in **Form -2**.
- **7. Renewal of appointment.**—(1) The appointment of Central Record Keeping Agency may be renewed by the Appointing Authority on the recommendations of the Chief Controlling Authority. The application for renewal of appointment shall be made to the Appointing Authority by the Central Record Keeping Agency well in time before the expiry of the running term of appointment.
- (2) The Chief Controlling Authority or Appointing Authority before making inquiry or taking decision on the application for renewal may call for any information or record from the concerned offices of Central Record Keeping Agency or Authorised Collection Centre for the purpose of renewal of appointment.
- (3) The Appointing Authority, if satisfied may renew the appointment and a fresh Agreement and Undertaking–cum-Indemnity Bond shall be executed as per rule 6.
- **8.** Termination of appointment of Central Record Keeping Agency.—(1) The appointment of the Central Record Keeping Agency shall be terminated by the Appointing Authority before the stipulated period, on the ground(s) of any breach of any of the obligations or terms of agreement or provisions of these rules or the Act or financial irregularity or for any other sufficient reason, as the case may be.
 - (2) The appointment under sub-rule (1) shall not be terminated until,-
 - (a) the Central Record Keeping Agency has been given one month's notice specifying the grounds for such termination; and
 - (b) the Central Record Keeping Agency has been given a reasonable opportunity of being heard.

- (3) The Appointing Authority, if it is of the opinion that the provisions of the Act and the rules framed thereunder have been violated, after following the procedure under sub-rule (2), may also impose a penalty in accordance with the provisions of Chapter VII of the Act and Chapter-V of these rules, as the case may be.
- (4) On termination of appointment under this rule, the Central Record Keeping Agency shall transfer all the data generated during the period of appointment to the Government. After the termination of the appointment of the Central Record Keeping Agency, it shall not use or cause to be used the data generated during the period of appointment for its business or any other purpose whatsoever.
- **9. Duties of Central Record Keeping Agency.-** The Central Record Keeping Agency shall be responsible for,-
 - (a) providing hardware for hosting e-stamping application in the data centre and software infrastructure, in consultation with the Chief Controlling Authority, including its connectivity with the main server, in the offices of Inspector General of Registration, District Registrars, Sub-Registrars and Authorised Collection Centers, i.e. point of contact for payment of stamp duty and at other designated places or offices in the State, as specified by the Chief Controlling Authority;
 - (b) providing suitable and adequate training for operation and the use of the system to the manpower and the personnel of the department as appointed by the Chief Controlling Authority;
 - (c) facilitating in selection of Authorised Collection Centre for collection of stamp duty and issuing e-Stamp Certificate;
 - (d) coordination between the Central Server of Central Record Keeping Agency, Authorised Collection Centre (banks, etc.) and the offices of the Inspector General of Registration, District Registrars, Sub-Registrars or any other office or place in the state, as specified by the Chief Controlling Authority;
 - (e) collecting stamp duty and remitting it to the prescribed Head of Account of the State in accordance with the provisions of Chapter IV of these rules;
 - (f) preparing and providing various reports as required under these rules and as directed by the Chief Controlling Authority from time to time;
 - (g) the Central Record Keeping Agency shall not provide, transfer or share any hardware, software and any other technology or details with respect to the e-stamping project undertaken by it in the State to anybody without written permission of the Chief Controlling Authority, except the duly appointed Authorized Collection Centers;
 - (h) the Central Record Keeping Agency shall deploy the e-stamping application after getting the security audit of the same conducted by an empanelled agency of CERT-In. The security audit shall also be required whenever there is any change in the e-stamping application software subsequently; and
 - (i) the Central Record Keeping Agency shall maintain the logs of all the activities on the server dedicated for e-stamping and shall also follow the security guidelines of CERT-In on regular basis. All the system logs shall properly stored and archived for regular analysis, troubleshooting and for the purpose of recovery and investigation of data.

- 10. Commission or Discount to be paid to the Central Record Keeping Agency.—
 (1) The Central Record Keeping Agency shall be entitled to such agreed percentage of commission or discount on the amount of stamp duty collected through e-stamping mechanism. The rate of commission or discount shall be notified by the State Government in the official gazette.
- (2) Further the commission or discount to the Central Record Keeping Agency shall also be subject to the conditions of rule 20 of these rules.
- 11. Specification of software to be used by Central Record Keeping Agency.—(1)The Central Record Keeping Agency, in consultation with the Chief Controlling Authority shall design and use such software for indicating the following minimum details of the e-Stamp Certificate,-
 - (a) distinguished of the 'e-Stamp Certificate issuing branch' of the Central Record Keeping Agency or serial number or unique identification number (UIN) for each e-Stamp Certificate;
 - (b) date and time of issue of the e-Stamp Certificate;
 - (c) code and location Authorized Collection Centre;
 - (d) unique reference number;
 - (e) amount of stamp duty paid through the e-Stamp Certificate in words and figures;
 - (f) name and address of the purchaser or authorized person obtaining the e-Stamp Certificate;
 - (g) names of the first party;
 - (h) name of the second party (if involved);
 - (i) brief description of the instrument on which the stamp duty is intended to be paid;
 - (j) brief description of the property which is subject matter of the instrument, if any;
 - (k) any other distinguishing mark of the e-Stamp Certificate, e.g., bar code or security code with micro print and digital optical water mark; and
 - (l) the e-Stamp Certificate shall be as per the format given as **Appendix-A** to these rules.
- (2) Central Record Keeping Agency in addition to sub-rule (1) shall also make following provisions,-
 - (a) user-id of the official issuing the e-Stamp Certificate;
 - (b) digital/manual signature and seal of the e-Stamp Certificate issuing officer or authorized signatory of the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre;
 - (c) signature of the purchaser or authorized person obtaining the e-Stamp Certificate;
 - (d) web based facility to access the e-Stamp Certificate;
 - (e) passwords and codes for locking of the e-Stamp Certificate by the District Registrars, Sub-Registrars or any other authorized officer appointed by the Chief Controlling Authority to prevent the reuse of any e-Stamp Certificate;
 - (f) the option for purchase of additional e-Stamp Certificate under old certificate number available;
 - (g) facility to cancel the 'spoiled' or 'unused' or 'not required for use' e-Stamp Certificate;
 - (h) passwords and codes to the authorized officials of the department to search and view any e- Stamp Certificate and to access Management Information System (MIS) and Decision Support System Reports (DSSR);
 - (i) details of the issued e-Stamp Certificate on the e-Stamping Server (e-SS) maintained by the Central Record Keeping Agency; and

(j) availability of different transaction details and reports relating to e-stamping as mentioned in rule 43 on the website of the Central Record Keeping Agency which shall be accessible only to the officers authorized by the Chief Controlling Authority.

CHAPTER - III

Authorized Collection Centers (ACCs)

- 12. Appointment of Authorized Collection Centers.—The Central Record Keeping Agency shall appoint Authorized Collection Centers with the prior approval of the Chief Controlling Authority to act as an intermediary between the Central Record Keeping Agency and the Stamp Duty Payer for collection of stamp duty and for issuing e-Stamp Certificate. The service charges or commission or fee etc. payable to the Authorized Collection Centers shall be decided between the Central Record Keeping Agency and the Authorized Collection Centers at their own level as per their agreed terms.
- 13. Eligibility for appointment of Authorized Collection Center.—Any Nationalized or Scheduled Bank controlled by Reserve Bank of India or Financial Institutions or Undertaking controlled by Central or State Government or Post Offices or offices or branches of the Central Record Keeping Agency or such other Agencies as approved by the Chief Controlling Authority shall be eligible for appointment as Authorized Collection Centre.
- 14. Termination of agency of Authorised Collection Centre.- The Chief Controlling Authority may at any time, for reasons to be recorded in writing, direct the Central Record Keeping Agency for terminating the agency of any Authorized Collection Centre and upon such direction, the Central Record Keeping Agency shall terminate the agency of such Authorized Collection Centre.
- 15. Collection of stamp duty by Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centers.— (1) All the offices or branches of the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centers shall collect the amount of stamp duty from the Stamp Duty Payer, at the districts, sub-district and the places as specified by the Chief Controlling Authority, as the case may be.
- (2) All the branches of Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centers shall access the main server through internet by using a distinguished identification number and a confidential password allotted by Central Record Keeping Agency. The password shall be kept strictly confidential and the concerned Authorized Collection Centers shall change it immediately after its allotment to maintain the confidentiality.
- 16. Stationery Charges for issuing e-Stamp Certificate.—The Authorized Collection Centers shall charge a fee for stationery, etc., from the purchaser of e-Stamp Certificate as per the following slab:-

Amount of Stamp Duty in Rupees

Stationery Charges

(1) Upto Rs. 100/(2) More than Rs. 100/- and upto Rs. 1000/(3) More than Rs. 1000/(3) More than Rs. 1000/(3) Rs. 3/- per e-stamp certificate.
Rs. 5/- per e-stamp certificate.
Rs. 10/- per e-stamp certificate.

17. Infrastructure.- The Authorised Collection Centers shall be equipped with the required computer systems, printers, internet connectivity and other related infrastructure which are

necessary to implement the estamping system as specified by the Central Record Keeping Agency in consultation with the Chief Controlling Authority. The configuration of the computer system and connectivity shall meet the specifications of Central Record Keeping Agency and which may be subject to change with prior intimation to the Chief Controlling Authority.

- **18. Cost of infrastructure.**—The cost of providing equipment and infrastructure referred to in rule 17 shall be borne by the concerned Authorised Collection Centers.
- 19. Hardware and infrastructure in the offices of the department.—The Government shall provide necessary hardware and infrastructure at the offices of the Inspector General of Registration, District Registrars, Sub-Registrars and such other offices as authorised in this behalf, which would include a Personal Computer, Printer, Bar Code Scanner, Internet Connection as required for implementing the e-stamping system.

CHAPTER - IV

Remittance of the stamp duty to Government account

- **20.** Procedure for remitting the amount of stamp duty to Government account.—The Central Record Keeping Agency shall be responsible to reconcile and remit the consolidated amount of stamp duty, collected by its own offices and branches or through Authorised Collection Centers, in the head of account "0030-Stamps and Registration" or any other notified head of account of the state in the manner prescribed hereunder,-
 - (a) the Central Record Keeping Agency shall remit the consolidated amount of stamp duty, so collected through e-stamping system, to the aforesaid head of account, after deducting the agreed commission or discount, not later than the closure of the business hours of the next working day from the date of such collection.
 - (b) the method of remittance of the amount of stamp duty by the Central Record Keeping Agency to the head account of the state shall be through Electronic Clearing System(ECS) or Online Banking Fund Transfer or Challan or otherwise as may be directed in writing by the Chief Controlling Authority.
 - (c) the remittances referred to in this rule shall be made to the Government Treasury or the Authorized Bank(s) and the Central Record Keeping Agency shall maintain the daily account of such remittances in the Register as specified in **Form-3**.

CHAPTER - V

Penalty for omissions and violations

21. Penalty for delay in remittance to government account.—In case, the Central Record Keeping Agency fails to remit the amount of collected stamp duty in the state head of account, within the period as stipulated in clause (a) of rule 20, the Central Record Keeping Agency

shall be liable to pay penalty for delay, alongwith the collected amount of stamp duty according to the following scale:-

Period of delay

- (1) when amount of stamp duty so collected is remitted on third day or after from the date of collection;
- (2) when the amount of stamp duty so collected is remitted after closing of the eighth day from the date of collection.

Penalty

Entire amount of the commission or discount payable to the Central Record Keeping Agency.

Compound penalty of one percent per day of the amount of collected stamp duty shall be imposed. The first for this purpose shall be day of transaction.

- 22. Power to relax or remit penalty.—The Chief Controlling Authority may relax or remit whole or part of the penalty under rule 21, in unavoidable circumstances or any cause arising beyond the reasonable control, including acts of God, acts of civil or military authority, fires, epidemics, wars, terrorist acts, riots, earthquakes, storms, typhoons, floods. In the event of any such delay, the time for the Central Record Keeping Agency to perform their part shall be extended for a period equal to the time lost by reason of the delay.
- 23. Resolution of disputes.—In case of any dispute on any issue arising between the parties under these rules, shall be referred to the Financial Commissioner (Appeal) Government of Himachal Pradesh and his decision thereon shall be final.

CHAPTER - VI

Procedure for issuing of e-Stamp Certificate

- **24. Getting of e-Stamp Certificate.-** Any person paying stamp duty shall approach any of the branch of Central Record Keeping Agency or Authorised Collection Centers and furnish the requisite details in **Form-4** alongwith the payment of stamp duty for getting the e-Stamp Certificate.
- **25.** Mode of payment of stamp duty.—(1) The payment for purchase of e-Stamp Certificate shall be made by means of Cash, Pay Order, Bank Draft, Electronic Clearing System, Real Time Gross Settlement or by any other mode of transferring the fund as authorized by the Chief Controlling Authority.
- (2) The Authorized Collection Centre shall issue e-Stamp Certificate for the amount received under sub-rule (1).
- (3) The Authorized Collection Centre or Central Record Keeping Agency shall keep a daily account of issued e-Stamp Certificates in a Register to be maintained by them in **Form-5** and take the signature of purchaser or the authorized person, as the case may be, on the relevant column of the Register.
- 26. Conditions and Method for issuing the e-Stamp Certificate.—(1) The Central Record Keeping Agency and the Authorised Collection Centre shall ensure that the person, who has been authorised to issue the e-Stamp Certificate, is a regular full time employee of their agency or institution and having suitable credentials.
- (2) The Authorised Official of the Authorized Collection Centre or Central Record Keeping Agency, as the case may be, shall on the payment made under rule 25, enter the requisite

information and details in the computer system, as provided by the applicant in the application Form-4, get the correctness of such entered details verified by the applicant, download the e-Stamp Certificate, take out its print, sign with date and affix the official seal at the bottom on the right side of the e-Stamp Certificate and issue the same to the applicant after taking their signature on the left side of the e-Stamp Certificate as proof of verification.

- (3) The non-washable permanent black ink or such other appropriate colour and shade as may be determined by the Chief Controlling Authority shall be used for issuing the e-Stamp Certificate. The print of every e-Stamp Certificate shall be bright, clear and distinct and shall not be overlapped. The signature and seal, showing name and designation of the issuing officer and name of the issuing branch shall preferably be made in black ink.
- **27. Size of paper and printed area of e-stamp certificate.**—The e-Stamp Certificate, as specified under clause (l) of sub-rule (1) of rule 11, shall be printed or generated on Legal Size Paper of the size 21.5 X 34.5 cms. with a margin of 3.5 cms. on the left side, 1.5 cms. on the right side and 2.0 cms. on top of the paper or such other size or margin paper, as may be determined by the Chief Controlling Authority.
- **28. Details of e-Stamp Certificate on website.-** The details of every issued e-Stamp Certificate shall be made available on the e-Stamping Server (e-SS) maintained by the Central Record Keeping Agency and shall be accessible to any person authorized by the Chief Controlling Authority in this behalf, including the Inspector General of Registration, District Registrar and Sub-Registrar, holding a valid code or password which shall be provided by the Central Record Keeping Agency.
- **29. Payment of additional stamp duty.**—If a person for any reason, who has e-Stamp Certificate of certain denomination issued for a document, needs to pay an additional stamp duty on the same document, they shall make an application in the Form-4 alongwith additional stamp duty to the Authorized Collection Centre, in accordance with the provisions of the rule 25.
- **30.** Procedure for issuing of additional e-Stamp Certificate.—(1) The Authorized Collection Centre or Central Record Keeping Agency shall issue additional e-Stamp Certificate on separate sheet of paper in accordance with rules 26 and 27.
- (2) The party to an instrument may, at his discretion, use impressed non-judicial stamp paper(s) and impression(s) of franking machine alongwith the e-Stamp Certificate to pay stamp duty payable on such instrument under the Act. The use of one type of stamp shall not exclude the use of other type of stamps in the same instrument.
- **31.** Use of e-Stamp Certificate.—(1) Every instrument written upon stamped and impressed paper with an e-Stamp Certificate, shall be written in such manner that the e-Stamp Certificate may appear on the top face of the instrument and a portion of the instrument written below the printed area of e-Stamp Certificate, so that the e-Stamp Certificate may not be used for or applied to any other instrument.
- (2) No second instrument chargeable with duty shall be written upon using the e-Stamp Certificate, upon which an instrument chargeable with duty has already been written.
- (3) Every instrument written in contravention of sub-rules (1) and (2) shall be deemed to be unstamped and the same shall be dealt with as per provisions of rule 34 of these rules.

- 32. The distinguished unique identification number (UIN) of the e-Stamp Certificate.—The distinguished unique identification number of the e-Stamp Certificate shall be written or typed at the top right corner of each page of the instrument.
- 33. Verification and locking the details of 'e'-Stamp Certificate.—(1) The Registering Officer, before registering any instrument shall verify the correctness or authenticity of the e-Stamp Certificate by accessing the relevant website of the Central Record Keeping Agency and entering the unique identification number (UIN) or with the help of using the Bar Codes Scanner. The Registering Officer, after such verification, shall further proceed to register the document and after registering the document shall lock the said e-Stamp Certificate by using the code and password provided by the Central Record Keeping Agency to prevent re-use of such e-Stamp Certificate.
- (2) The e-Stamp Certificate required to be used for optional registerable document or any other purpose may preferably be got verified or authenticated and locked from the District Registrar or the Sub-Registrar or any other officer as authorized by the Chief Controlling Authority.
- (3) It shall be the responsibility of the District Registrar, Sub-Registrar and such other officer as authorized by the Chief Controlling Authority to verify the authenticity or correctness of any e-Stamp Certificate.

CHAPTER - VII

Refund or Allowances for e-Stamp Certificate

- **34.** Procedure for refund or allowances of 'spoiled' or 'misused' or 'not required for use', e-Stamp Certificate.—(1) The application for refund or allowances of 'spoiled' or 'misused' or 'not required for use', e-Stamp Certificate shall be made to the District Collector within the stipulated period in accordance with Chapter V of the Act. The application shall be accompanied with the original 'spoiled' or 'misused' or 'not required for use', e-Stamp Certificate.
- (2) The District Collector after verification, by accessing the relevant website of the Central Record Keeping Agency, shall cancel and lock the verified e-Stamp Certificate, endorse the fact of cancellation and shall mark "CANCELLED" on the original e-Stamp Certificate with their signature and seal and refund the amount after deducting 10% of the paid stamp duty as service charges and also deduct the amount of commission or discount paid to the Central Record Keeping Agency for such e-Stamp Certificate.
- (3) The District Collector shall maintain a record of cancelled e-Stamp Certificates in its office and original cancelled e-Stamp Certificate shall be kept for office record in a guard file. The report of the same shall be sent to the Chief Controlling Authority in the first week of every month.
- (4) The refund, if allowed under sub-rule (2), shall be made by the District Collector by means of refund voucher or cheque drawn in favour of the person, in whose name the e-Stamp Certificate was issued.

CHAPTER - VIII

Inspections, audit and appraisal of the performance of the system

35. Inspections.—(1) The District Registrar or any authorized officer of his office, not below the rank of District Revenue Officer and the Stamp Auditors, appointed under the Act, shall inspect all or any of the branch(s) or office(s) of the Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centers located within their jurisdiction, at least twice in a year.

- (2) The Chief Controlling Authority may, however, at any time on receipt of a complaint or suo-motu, direct any officer of the Department to inspect any branch or office of the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre and shall ask the officer so directed to submit a report.
- (3) The Accountant General, Himachal Pradesh may also conduct regular annual audit of the receipts and remittances made by the Central Record Keeping Agency.
- (4) The Chief Controlling Authority or its duly authorized officer shall have the powers to inspect the relevant records of any branch(s) or office(s) of the Central Record Keeping Agency situated within the State or outside the State including the branch(s) of the Authorized Collection Centers located within the State, who are looking after the work of e-stamping system relating to the State, at any time convenient to them, without assigning any notice.
- **36. Providing of information.**—The officer-in-charge of the Central Record Keeping Agency and Authorized Collection Centre shall provide information to the inspecting officer on soft or hard copy of any electronic or digital record with regard to the collection and remittance of stamp duty relating to any period and the concerned Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre shall be bound to provide such information.
- **37. Inspection report.**—The inspecting officer shall within two weeks from the date of inspection, submit his inspection report to the Chief Controlling Authority.
- **38.** Chief Controlling Authority to take appropriate action.—The Chief Controlling Authority on receipt of such inspection report may take appropriate action including imposition of penalty in accordance with Chapter V of these rules and may terminate the appointment of Central Record Keeping Agency or the Authorised Collection Centre, if so warranted, after giving an opportunity of being heard.

CHAPTER - IX

Arbitration and Public grievance redressal system

- **39. Grievance Redressal Officers.-** The District Registrar or District Revenue Officer shall be the 'Grievance Redressal Officers' for conducting an inquiry into the complaint received against the misconduct or irregularities of the Central Record Keeping Agency or its Authorised Collection Centers or any other official in the implementation of the e-stamping system.
- **40.** Complaint to Grievance Redressal Officer.—Any person who has any grievance against the services of the Central Record Keeping Agency or any of its Authorised Collection Centre or any other official relating to the implementation of these rules, may make a complaint to the concerned Grievance Redressal Officer.
- 41. Opportunity of being heard.—The Grievance Redressal Officer shall conduct an inquiry with regard to complaints received under rule 40, by giving an opportunity of being heard to the parties concerned and submit the enquiry report to the Chief Controlling Authority with full facts and finding.
- **42. Action on enquiry reports.**—The Chief Controlling Authority shall take appropriate action on enquiry report against the Central Record Keeping Agency or Authorized Collection Centre or shall make suitable recommendation to the employer of the concerned official for taking appropriate action.

CHAPTER – X

Management Information System (MIS)/ Decision Support System (DSS)

- 43. Central Record Keeping Agency to furnish reports to the Department.—(1) All the details of stamp duty collected through this system and remitted to the Government account shall be recorded on day-today basis by the Central Record Keeping Agency and it shall furnish the following information and reports to the Chief Controlling Authority and to any other authorized officer:-
 - (i) Audit Reports;
 - (ii) Payment Reports;
 - (iii) Additional Stamp Duty Certificate Reports;
 - (iv) Locked e-Stamp Certificate Report;
 - (v) Remittance Reports;
 - (vi) Cancelled e-Stamp Certificates Report; and
 - (vii) Any other Report or Information as may be required by Chief Controlling Authority from time to time.
- (2) The extract or reports of Management Information System (MIS) or Decision Support System (DSS) under sub rule (1) shall be provided by Central Record Keeping Agency from the data captured on e-Stamping Server via internet.

CHAPTER - XI

Scope, extent and use of e-Stamp Certificate

44. Scope for use of e-Stamp Certificate.—The e-Stamp Certificate shall be used, in addition to Non-Judicial Stamp Paper and impression of Franking Machine, for all kinds of instruments on which stamp duty is payable under the Act and rules made there under.

By order, Deepak Sanan, Principal Secy.-cum-FC (Revenue).

Form - 1

[see rule 6(1)]

AGREEMENT

THIS AGREEMENT is executed and entered at SHIMLA on this day of
20BETWEEN the Government of Himachal Pradesh through the Inspector
General of Registration, having his office at 28th Block, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009,
Himachal Pradesh, duly authorised by the Financial Commissioner (Revenue) Government of
Himachal Pradesh to act as Chief Controlling Authority on his behalf (hereinafter referred to as the
First Party, which expression shall include his successors in the office and assigns) AND the
(name of the Central Record Keeping Agency) having its Registered office at
the said agency to execute this agreement (hereinafter referred to as the Second Party, which
expression shall include its successors and assigns, representatives).

The First Party and the Second Party are together referred to as **the Parties**.

AND WHEREAS, the Second Party has agreed to work as a Central Record Keeping Agency within the State of Himachal Pradesh and to develop a system for the collection of stamp duty on behalf of the Government of Himachal Pradesh from ultimate purchaser of e-Stamp Certificate.

NOW IT IS HEREBY AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:-

- 1. That the Second Party agrees to create need based software infrastructure, in consultation with the First Party, including its connectivity with the main server, in the offices of Inspector General of Registration, District Registrars, Sub-Registrars and Authorised Collection Centers, i.e. point of contact for payment of stamp duty and at other designated places or offices in the State, as specified by the Chief Controlling Authority.
- 2. That the Second Party shall facilitate in selection of Authorised Collection Centre for collection of stamp duty and issuing e-Stamp Certificate.
- 3. That the Second Party shall act as a co-ordinator between the Central Server, Authorised Collection Centers (hereinafter referred as ACCs) and the offices of the Inspector General of Registration, District Registrars, Sub-Registrars or any other office or place in the state, as specified by the Chief Controlling Authority.
- 4. That the Second Party shall collect stamp duty on behalf of First Party and generate e-Stamp Certificates through the computer system.
- 5. That the Second Party shall be bound to remit the consolidated amount of stamp duty collected by its branches or by its Authorised Collection Centers to relevant head of account of the State Government, in accordance with rule 20 of the Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011 (hereinafter called the Rules).
- 6. That the Second Party shall Prepare and provide such reports as may be desired by the First Party from time to time.
- 7. That the Second Party shall not provide, transfer or share any hardware, software and any other technology or details with respect to the e-stamping project undertaken by it in the State to anybody without written permission of the First Party, except the duly appointed ACCs.
- 8. That the Second Party shall not charge commission or discount exceeding the agreed rate of _____percent of the amount of stamp duty collected through e-stamping mechanism. The Second Party shall deduct such commission from the collected amount of stamp duty and shall remit the balance amount into the State Government Account. Further that the commission or discount to the Second Party shall be subject to the condition of clause (a) of rule 20 of the Rules.

- 9. That in case the Second Party fails to remit the amount of collected stamp duty in the State head of account, within stipulated period, the Second Party shall be liable to pay penalty for delay as provided in Chapter-V of the Rules.
- 10. That the Second Party shall be liable to compensate any loss caused to the State of Himachal Pradesh due to violations of any terms and conditions of this Agreement or any of the provisions of the Rules.
- 11. That the Second Party shall not change the location or increase the number of ACCs without prior written permission of the First Party.
- 12. That the First Party shall have the power to inspect the relevant records of the Second Party or its ACCs without assigning any notice.
- 13. That the terms and conditions of this agreement may be altered or supplemented by the Parties depending upon the circumstances which may warrant any such change for the smooth operations of the stamp duty payments or collections.
- 14. That the Second Party shall ensure that service of Computerized Stamp Duty Administration System (C-SDAS) shall be operational and accessible to any person during Monday to Saturday from 9.00 a.m. to 5.00 pm.
- 15. That the Second Party shall ensure that the system shall have the logging capacity for at least four hundred users at a time.
- 16. That the training for operation and the use of the system, to the identified manpower or personnel's of the Department shall be provided by the Second Party at the place decided by the First Party. Further that the Second Party shall be responsible for arranging and providing all the necessary facilities, equipment and premises required for conducting the training at their own cost.
- 17. That at periodic intervals to be mutually decided by the Parties the refresher courses on any upgradation, modification to the system shall be provided by the Second Party.
- 18. That notwithstanding anything contained in this Agreement, the failures or delay in performing the obligations hereunder arising from any cause beyond the reasonable control, including acts of God, acts of civil or military authority, fires, epidemics, wars, terrorist acts, riots, earthquakes, storms, typhoons, floods and such other circumstances beyond the control of the Parties. In the event of any delay, the time for the Second Party's to perform their part shall be extended for a period equal to the

time lost by reason of such delay. Further that if the contingency cannot be removed permanently or by extending the period beyond two months, the Agreement, upon notice, served by the First Party, the Second Party shall be relieved from the contractual obligations by terminating the agreement, except to the rights to which they may be entitled to a settlement and final accounting.

19. That in the event of any dispute or difference or controversy or claim arising between the parties in connection with or under this agreement, shall as far as possible, be settled amicably and failing which all such disputes shall be referred to Financial Commissioner (Appeal) Government of Himachal Pradesh and his decision thereon

		shall be fina	1.								
Chief	Cont	witness rolling Author	, the In	spector	General o	of Registrat	ion, Hin	nacha	l Prade	sh acti	ng as
			v								
In th	e pres	ence of:						(FIR	ST PA	RTY)	
(1)	Nan	nature : ne : lress :						`		ŕ	
(2)	Sign Nan	nature :									
Witn	esses						((SEC	OND I	PARTY	7)
(1)	Nan	nature : ne : lress :						`			,
(2)	Nan	nature : ne : lress :									
		MLA	•								
					Form - 2 e rule 6(3))]					
(To	be ex	xecuted by the				gency on ne emnity Bon	-	cial st	amp of	f Rs. 15	5/-)

	This UNDERTAKIN	\mathbf{G} is made an	nd executed at	on	thisda
of_	,20by Sh		S/o Sh		, actin
as	(official designation in the	Central Record	d Keeping Agency)	and Authorised Sig	gnatory for an

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, १८ जुलाइ, २०११ / २७ आपाढ़, १९३३ - १,५००
on behalf of (name of the Central Record Keeping Agency) having its registered office at (hereinafter referred to as the First Party, which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof shall mean and include their representatives, assigns, heirs, etc.) and IN FAVOUR OF Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Second Party).
The First Party and the Second Party are together referred to as the Parties.
WHEREAS, the First Party has been appointed by the Government of Himachal Pradesh vide notification No
AND WHEREAS, the First Party has agreed to fulfill all the terms and conditions as provided in the agreement executed by the parties on dated and also to undertake and keep indemnified the Second Party against all or any loss suffered by the Second Party due to any mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the First Party or its Authorised Collection Centers.
AND WHEREAS , the First Party has agreed to the obedience and observance of terms and conditions of the agreement ibid and provisions of the Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011 and any other order issued by the Government or the Department under these rules.
AND WHEREAS, in order to fulfill the aforesaid requirements the First Party by executing this present Bond, undertakes to indemnify the Second Party as follows,-
(i) the First Party has carefully read and understood the Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011 and the terms of the Agreement executed on and hereby undertakes that the provisions of the aforesaid Rules and the conditions of the said Agreement shall not be violated at any level;
(ii) the First Party hereby undertakes that the Authorised Collection Centers shall not be appointed without the prior approval of the Second Party;
(iii) the First Party undertakes that any of its employee(s) or the employee(s) of its Authorised Collection Centers directly or indirectly shall not misuse or cause to be misused the

(iv) the First Party hereby undertakes to keep the Second Party always indemnified against all or any of the loss or any risk arising out of any mishandling, misconduct, negligence or any irregularity of any kind whatsoever caused by the First Party or its Authorised Collection Centers.

authorization of collection of stamp duty; and

IN WITHNESS WHEREOF THE FIRST PARTY HEREIN HAS SET AND SUBSCRIBED ITS RESPECTIVE HANDS AND SEALS ON THE ABOVE WRITTEN UNDERTAKING BOND

SIGNED, SEALED AND DELIVERED BY (With name and address of First Party)

In the presence of:	
(1) Signature:	
Name:	
Address:	
(2) Signature :	
Name:	
Address:	
	FORM - 3
	[See Rule 20(c)]
	(To be maintained by the Central Record Keeping Agency)

Register regarding the daily Stamp Duty collection and remittance to Government Account

Sr. No.	Date	Name of CRA	Total No.	Amount of Stamp Duty collected			Previous amount of	Total amount for	Amount remitted	Amount deducted by	Total Balance	
No.		CKA	of e-stamp certificate issued	By Cash	By DD/PO, etc.	Total (5+6)	balance for remittance (Amount as shown at immediate previous entry in column 12)	remittance (7+8)	to CRA as Govern- ment discount/ commissic Account of the remitted amount in column No. 10		amount for remittance	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Form - 4

[see rule 24 & 29]

(For the use of Stamp Duty Payer)

APPLICATION FOR E-STAMP CERTIFICATE/ADDITIONAL E-STAMP CERTIFICATE

ACC			ACC Id						
Document Description	Article		Property Description	1					
Details of Purchaser/Author	ised Person								
Name & Address of the First with Phone No_	Party								
Name & Address of the Seco	nd Party								
with honPe No	·								
Name & Address of the Purc	haser/ Authorized								
Person, if any, with Phone No									
with Fhone No	·								
Stamp Duty paid by(√Tick)		□1 st P	arty			□ 2nd P	arty		
Stamp Duty Payment Details	s								
Consideration Amount (if	any)		M	ode of Pa	yment:				
Rs	Cash		□ DD						
Stamp Duty Amount	□ RTGS		□ ECS						
Rs	_		□ Pay-Ord		node				
DD/ Pay-Order, etc. No.			Date:	110112CG 11	/		/20		
Name of the Bank Branch									
(i) \Box e-Stamp Certificate of al amount, in continuation of issued.									
Date:				Signatur Autl	e of the I norised H		er/		
Acknow	vledgement of e-Sta	mp Cert	ificate to be	kept by	the CR.	A/ACC:	S		
The e-Stamp Cer	rtificate of Rs.					has	been	received	by
Sh./Smt./		toda	y on			<u>_</u> .			J
						Sign		the Purch horised Pe	
	Receipt	of Payme	ent of Stamp	Duty					
Name of the Purchaser/Aut	thorized Person								
Date of Application									
Consideration Amount (if any) Rs.					Iode of 1				
Stamp Duty Amount Rs			□ Cash □ RTGS	□ DD □ ECS			Order	ized mod	e
DD/ Pay-Order, etc. No.				Date:	/	<u> </u>	/20		
Name of the Bank Branch									

Note:- Once the e-Stamp Certificate has been generated, payment cannot be cancelled or refunded by CRA or ACC. The refund or allowance for 'spoiled' or 'misused' or 'not required for use', e-Stamp Certificate can be made by the Collector of the District in accordance with Chapter-VII of Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011.

Counter Signature of CRA/ACCs with seal

Form - 5

[see rule 25(3)]

(To be maintained by the ACC or CRA)


Register regarding daily postings of applications for issued e-Stamp Certificates

Sr.	Date	Name & address of the	Amount of Stamp	e-Stamp	Signature of the Purchaser
No.		Purchaser /Authorised Person	Amount of Stamp duty paid by way of Cash / DD / PO/ Any Other authorised mode	Certificate No and date	the Purchaser or Authorised Person
1	2	3	4	5	6
1		3	4	3	0

Appendix-A

[see rule

11(1)(1)



राजस्व विभाग (स्टाम्प–रजिस्ट्रीकरण)

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 जुलाई, 2011

संख्या रैव0 1–3 (स्टाम्प)1/85–VI.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू हिमाचल प्रदेश ई—स्टैम्पिना नियम, 2011 के नियम 2 के अनुच्छेद (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य में हिमाचल प्रदेश में ई—स्टैम्पिना प्रणाली लागू करने हेतु महानिरीक्षक पंजीयन, हिमाचल प्रदेश को 'चीफ कन्ट्रोलिना आथोरिटी' के रुप में अधिकृत करने का आदेश देती हैं।

आदेश द्वारा, दीपक सानन, प्रधान सचिव एवं वित्तायुक्त (राजस्व)।

[Authoritative English Text of the Notification No.Rev.1-3(Stamp)1/85-VI dated 12th July, 2011 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT (Stamp-Registration)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th July, 2011

No. Rev.1-3(Stamp)1/85-VI.—In exercise of the powers conferred by article (f) of rule 2 of the Himachal Pradesh e-Stamping Rules, 2011 as applicable to the State of Himachal Pradesh, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise "Inspector General of Registration, Himachal Pradesh" as the Chief Controlling Authority for implementing the e-Stamping system in the state.

By order, **DEEPAK SANAN**,
Principal Secy.-cum-FC (Revenue).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTI FICATION

Shimla-2, the 16th July, 11

No. Tpt-F(1)4/96-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso (iii) to sub rule (1) of rule-108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with clause (e) of Government of India Notification No. S.O.-52(E), dated 11-1-2002 and having regard to the security/safety of high dignitaries and others and regulation of traffic in general within the State, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order in continuation of this Department Notification No. Tpt-F(1)4/96-III,

dated 31st December, 2008 that vehicles carrying the following high dignitaries and officers of State Government and Union shall be entitled to use red light without flasher to the top front with immediate effect in the public interest in the following manner:—

- (1) Chairperson, H.P. State Commission for Women.
- (2) Vice Chancellor, Central University of Himachal Pradesh, Dehra/Dharamshala.
- (3) All Additional Commissioners and Joint Commissioners of Income Tax posted in Himachal Pradesh.

By order, Sd/-Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 11

No. Tpt-F(6)2/97-V.— In order to conduct periodic inspection of existing and requirement for new Driving Training Schools/Pollution Check Centres, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute following committee:—

(1) Regional Transport Officer concerned

Chairman

(2) Motor Vehicles Inspector concerned

Member

2. The committee will assess the requirement of driving training facility, feasibility and viability of such Institutions under its jurisdiction before it is sanctioned.

By order, Sd/-Principal Secretary (Transport).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 13th July, 2011

No. Shram (A) 4-2/2011.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to constitute the State Level standing Committee on the report of the Expert Group on bonded Labour for successful implementation of the provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 and other related Acts in the State under the Chairpersonship of Addl. Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh. The composition of the Committee is as under:—

1. Additional Chief Secretary(Lab & Emp).

Chairperson

2. Pr. Secretary(Home & Vigilance).

Member

3.	Pr. Secretary(Planning)	Member
4.	Pr. Secretary (Education)	Member
5.	Pr.Secretary(Social Justice & Empowerment	Member
6.	Pr.Secretary(Rural Development)	Member
7.	Secretary(Agriculture)	Member
8.	Special Secretary(Industries)	Member
9.	Labour Commissioner, H.P.	Member Secretary.

NGOs. Representative:

1. Shri Narinder Sharma, Executive Director, Himachal Pradesh voluntary Health Association, B-37, Phase-1, Sector-III, New Shimla, District Shimla, H. P.

By order, Sd/-Additional Chief Secretary(Lab. & Emp).

ब अदालत श्री नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 38 / 2010 तारीख पेशी : 21-7-2011

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री देवी राम, निवासी महाल घनाला, डाकघर सन्धोल, उप–तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

ब्रह्म दास पुत्र श्री देवी राम, जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री कपूर सिंह, भागीरथ पुत्र श्री सिंह, मेहर चन्द पुत्र श्री सुख राम सभी निवासी घनाला प्रतिवादीगण।

मुकद्दमा जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू०—राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 54, खतौनी नं0 45, कित्ता 70, रकबा तदादी 02—17—88 हैक्टेयर, स्थित महाल घनाला, उपतहसील सन्धोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0 जमाबन्दी वर्ष 2003—2004.

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को कई बार समन जारी किए गए लेकिन नौकरी पेशा या शादी शुद्धा होने के कारण उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है जिससे अदालत हजा को पूरा विश्वास हो चुका है कि इन्हें अब साधारण तरीके से तामील नहीं कराई जा सकती।

अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकदमा उपरोक्त में कोई उजर व एतराज पेश करना चाहें तो वह दिनांक 21—7—2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले गौर न होगी तथा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 23-6-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नजीर खान कुरैशी, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल जिला मण्डी (हि० प्र०)। ब अदालत श्री संजय कुमार, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 10.

तारीख मरजुआ 4-10-10

तारीख पेशी 22-7-11

श्री रामेश्वर दास भण्डारी पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी मकान नं0 54, सैक्टर 33–ए, चण्डीगढ

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यू तिथि पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रामेश्वर दास भण्डारी पुत्र श्री बाबू लाल, निवासी मकान नं0 54, सैक्टर 33–ए, चण्डीगढ़ के ग्राम पंचायत करसोग में अपने पुत्र राजेन्द्र प्रसाद भण्डारी का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन जो जिला पंजीयन जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ शपथ-पत्र रामेश्वर दास भण्डारी व शैक्षणिक प्रमाण-पत्र संलग्न है उपरोक्त दस्तावेज के अनुसार रामेश्वर दास भण्डारी ने अपने शपथ-पत्र में व्यक्त किया है कि वह 1969 में सीनियर सैकण्डरी स्कूल करसोग में अध्यापक के पद पर कार्यरत था और इसी अवधि के दौरान वह अपने पुत्र राजेन्द्र प्रसाद भण्डारी का नाम व जन्म तिथि 17–6–1969 है को ग्राम पंचायत करसोग के जन्म एवं मृत्यू रजिस्टर में दर्ज न करवा सका और अब वह अपने पुत्र का नाम राजेन्द्र प्रसाद भण्डारी व जन्म तिथि 17-6-1969 दर्ज करवाना चाहता

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री रामेश्वर दास के पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद भण्डारी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अपर करसोग के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज मिति 22-7-2011 को इस अदालत में पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 1-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार,

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश चन्द जग्गी, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव ठेलू, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री श्नीचरू, निवासी गांव ठेलू ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पुत्र मनमोहन का जन्म दिनांक 20-12-2005 को हुआ है। लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत ठेलू के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सुचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-7-2011 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहरताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का एतराज न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत ठेलू को दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-6-2011 को मेरे हस्ताक्षर एवम न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

जगदीश चन्द जग्गी. कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0:

तारीख मरज्आ : 30-6-2011 तारीख पेशी : 25-7-2011

श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री रबिन्द्र कुमार, निवासी तरयाम्बला, डा० लोगणी, उप–तहसील धर्मपूर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

ं फरीक दोयम।

राजस्व अभिलेख मुहाल नेरी कोटला में नाम की दरुस्ती बारा।

प्रार्थिन श्रीमती पवना देवी पत्नी श्री रबिन्द्र कुमार, निवासी तरयाम्बला, डा० लोगणी, उप–तहसील धर्मप्र, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत लोगणी, उप-तहसील धर्मपुर के अभिलेख में पवना देवी दर्ज है लेकिन प्रार्थिन का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल नेरी कोटला में कातकी देवी दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस उद्घोषणा / इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख मुहाल नेरी कोटला में करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-7-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर होकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर–हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5-7-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ब अदालत श्री पदम देव ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री खुव राम उर्फ खुविया पुत्र श्री शिवू, गांव लाहकड़, डा० प्रेशी, उप—तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत व राजस्व अभिलेख में नाम की दरुस्ती बारा।

श्री खुव राम उर्फ खुविया पुत्र श्री शिवू, गांव लाहकड़, डा0 प्रेशी, उप—तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत के अभिलेख में खुव राम है जबिक राजस्व अभिलेख में खुविया लिखा गया है। जिससे प्रार्थी को असुविधा हो रही है प्रार्थी अपना नाम ग्राम पंचायत व राजस्व अभिलेख में खुव राम उर्फ खुविया दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30—7—2011 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 1-7-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पदम देव ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील निहरी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री नरायण दास पुत्र स्व0 श्री जयदेव, निवासी लस्वाई खड, डाकघर वरयारा, ईलाका तुंगल, उप—तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे।.

श्री नरायण दास पुत्र स्व० श्री जयदेव, निवासी लस्वाई खड, डाकघर वरयारा, ईलाका तुंगल, उप—तहसील कोटली, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम नरायण दास है जोकि बच्चों के स्कूल प्रमाण—पत्रों पर दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा घरेलू नाम नरायण सिंह दर्ज है। राजस्व अभिलेख मुहाल खडकल्याणा, लस्वाई खड व कुटली में नाम दरुस्ती के आदेश दिए जाएं।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 16—8—2011 या इससे पूर्व इस अदालत में पेश कर सकता है अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5–7–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हसताक्षरित / – सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

In the Court of Land Reforms Officer-cum-AC 1st gd, Padhar, Tehsil Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh

Case No.

Mutation No. 327

Next date of hearing 24-8-2011

In the matter of :—

1. Khim Chand, Param Dev, Bilu s/o Shri Mangatu, 2. Smt. Reshmu wd/o Shri Mangtu, 3. Nathu Ram, Deepak s/o Punu, 4. Mansa Devi, Meena Devi d/o Punu, 5. Smt Dammi Devi wd/o Punu, All resident of Village Sahal, P.O. Kunnu, Tehsil Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh.

Versus

1. Smt. Narbada wd/o Shri Moru s/o Bhagwant, 2. Smt. Sundaru wd/o Shri Devi Ram s/o not known all, r/o Village Mandi Town, District Mandi, H.P.

Conferment of proprietary rights under section 104(3) of the HP Tenancy and Land Reforms Act, 1972.

Notice,

Whereas a Mutation No. 327 for conferment of proprietary rights in favour of applicants has been entered in the register of mutation qua 7/36 share of Land situated in Khata/Khatauni No. 81/114, Kita 4, measuring 4-03-00 bigha, situated in Muhal Sahal/588, Tehsil Padhar, District Mandi, H.P.

The service of summons could not be made to the above defendants as their adddresses are not known to the applicants. Moreover they have alleged that they have not seen them for the last more than 40 years. Therefore through this notice it is brought to the notice of above defendants to appear before the undersigned on 24-8-2011 at Patwar Khana Kunnu herself or through their authorised agents, failing which *exparte* proceedings will follow.

Issued today 4-7-2011 under the seal and signature of this court.

Seal.

Land Reforms Officer-cum-AC 1st gd, Padhar, District Mandi, Himachal Pradesh.

Sd/-